(63)

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्र.क /14–15/निगरानी 3184-RMR/15

1 निरंजन सिंह पुत्र स्व0 श्री हलकेराम
2 अमृतलाल पुत्र स्व0 श्री हलकेराम
3 कोकसिंह पुत्र स्व0 श्री हलकेराम
4 रामकृष्ण पुत्र स्व0 श्री हलकेराम
5 महेश पुत्र स्व0 श्री हलकेराम
6 कोशाबाई पत्नी स्व0 श्री हलकेराम
7 वोधाबाई पत्नी स्व0 हरभजन सिंह
8 अमरसिंह पुत्र स्व0 हरभजन सिंह
9 सोभाराम पुत्र स्व0 हरभजन सिंह
10 भीकाराम पुत्र स्व0 हरभजन सिंह
11 विश्ववीर पुत्र स्व0 हरभजन सिंह
12 मुकेश पुत्र स्व0 हरभजन सिंह समस्त निवासीगण ग्राम बजरंग कॉलोनी डबका तहसील ग्वालियर जिला ग्वालियर म0प्र0

––प्रार्थीगण

बनाम

संतोष सिह पुत्र श्री वृन्दावन निवासी ग्राम होहदपुर तेहसील व जिला ग्वालियर म0प्र0

–– प्रतिप्रार्थी

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भूराजस्व संहिता 1959 विरूद्ध प्र.क 29/2015 X 19/11 पारित आदेश दिनांक 08.08.2015 माननीय कलेक्टर भू अभिलेख जिला ग्वालियर

महोदय,

प्रार्थीगणो की ओर से निगरानी सविनय निम्नानुसार प्रस्तुत है–

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3184-पीबीआर/2015 जिला - ग्वालियर

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4-7-18	उभयपक्ष अधिवक्ताओं द्वारा पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया । 2- आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी अधीक्षक कार्यालय कलेक्टर भू-अभिलेख जिला ग्वालियर के 29/2015X19/11 में पारित आदेश दि. 8-8-2015 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। 3- आवेदकपक्ष अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदक को एवं मेढिया कृषक को सीमांकन किये जाने से पहले कोई सूचना पत्र जारी नहीं किया गया तथा आवेदक एवं मेढिया कृषक की अनुपस्थिति में सीमांकन किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है । यह भी कहा गया स्थायी सीमा चिन्हों से सीमांकन नहीं किया गया है इसलिये भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया सीमांकन निरस्त किये जाने योग्य है । तर्क में यह भी कहा गया कि नक्शे में पटवारी में रास्ता नहीं होने की पुष्टि की थी तथा सीमांकन हेतु स्थाई पुराने कोई चिन्ह नहीं थे जिनके आधार पर नक्शा था । नये चिन्ह कुआँ पुलिया को चुना गया है जो गलत है, क्योंकि कुआँ तो कभी भी कहीं भी हो सकता है तथा पुलिया कभी भी बनाई जा सकती है, उसको स्थाई सीमाचिन्ह नहीं कहा सकता है, क्योंकि सीमांकन करने के लिये दो ग्रामों की सीमा के बीच जो नक्शा बनाते समय नियत चिन्ह किया जाता है, उसी को आधार मानकर सीमांकन किया जाता है इसलिये भी किया गया सीमांकन निरस्त किये जाने योग्य है । 4- उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्को एवं अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक शोभाराम एवं अमृतलाल की उपस्थिति एवं पड़ोसी कृषक की उपस्थिति में टी0एस0एम0 मशीन द्वारा उक्त प्रश्नाधीन भूमि का नक्शे के आधार सीमांकन किया गया है, जो विधिवत् है । अतः कलेक्टर भू-अभिलेख जिला ग्वालियर द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है । 5- उपरोक्त विवेचना के आधार पर अधीक्षक कार्यालय कलेक्टर भू-अभिलेख जिला ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 8-8-2015 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है । अध्यक्ष	